

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4300 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 11 / 2020

दो-13-20 / 2020

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 के आलोक में श्री किशनलाल बर्मन, अशर (जमादार), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को दिनांक 30/09/2020 से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि को पात्रता अनुसार 256 दिन के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/4300 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 11 / 2020

दो-13-20 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री किशनलाल बर्मन, अशर (जमादार), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
पता-श्री किशनलाल बर्मन, ग्राम-फूटाताल, पोस्ट-पनागर, जिला जबलपुर
मो. नं. 8223821465, 9399904344

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

(A)